

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 490 / 15

संस्थापन दिनांक:-21 / 08 / 15

फाईलिंग नं. 233504002142015

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

कमलकिशोर पिता चमनलाल विजयकर
 उम्र 25 वर्ष, निवासी बस स्टैंड आमला,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 17.12.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 25.07.2015 को समय रात्रि करीब 11:00 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड माता मंदिर के साईड में थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत फरियादी प्रदीप को किसी धारदार चीज से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 25.07.2015 को रात्रि करीब 11 बजे रेल्वे कंटीन से अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में उसे कक्कू चम्हार मिला और बिना कुछ बोले उसके गले के उपर किसी धारदार चीज से मारा जिससे उसके गले में बांये तरफ खून निकलकर चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 403 / 15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है परंतु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये

मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.07.2015 को समय रात्रि करीब 11:00 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड माता मंदिर के साईड में थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत फरियादी प्रदीप को किसी धारदार चीज से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ? ”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 प्रदीप (अ.सा.-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना एक वर्ष पुरानी माता मंदिर के पास रात 10 बजे की है। घटना के समय वह कैंटीन से उसके घर जा रहा था तभी उसे रास्ते में अभियुक्त मिला और बिना किसी बात से उससे बहस करने लगा और उसके बारे में उल्टी सीधी बात करने लगा जिस पर वह उसके पीछे दौड़ा और रात का समय होने के कारण वह कीचड़ में गिर गया था जिससे उसके गले में चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) थाने में की थी तथा पुलिस ने मौके पर आकर मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-4) तैयार किया था। साक्षी द्वारा अभियोजन की संपूर्ण घटना का समर्थन न किये जाने पर साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके गले के उपर धारदार चीज से मारा था जिससे उसके गले में बांये तरफ चोट आयी थी।

7 रजनी (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि घटना एक वर्ष पुरानी मामा मंदिर के पास रात 10 बजे की है। घटना के समय वह उसके घर पर थी तभी उसका लड़का प्रदीप घर आया तो उसके गले से खून निकल रहा था जिसके बाद वह प्रदीप के साथ थाने में गयी थी। उक्त साक्षी के द्वारा भी अभियोजन की संपूर्ण घटना का समर्थन न किये जाने पर साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि उसे उसके लड़के ने बताया था कि अभियुक्त ने धारदार हथियार से उसे मारा था।

8 साक्षी सुरेंद्र (अ.सा.-1) एवं अमन (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में घटना के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी इन साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं किये हैं।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में दिनांक 26.07.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत प्रदीप का चिकित्सकीय परीक्षण करना बताते हुए आहत की गर्दन के बांये तरफ 3 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकर का कटा हुआ घाव पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-2) को प्रमाणित भी किया है।

10 आहत/फरियादी प्रदीप (अ.सा.-4) एवं डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-3) की साक्ष्य से फरियादी को गर्दन पर धारदार वस्तु से चोट आना प्रमाणित पाया जाता है परंतु उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आहत को आयी उक्त चोट अभियुक्त द्वारा पहुंचायी गयी हो। साथ ही स्वयं फरियादी प्रदीप (अ.सा.-4) ने अपने मुख्य परीक्षण कथनों में यह बताया है कि उसे कीचड़ में गिरने से गले में चोट आयी थी। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने फरियादी प्रदीप को किसी धारदार चीज से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त कमलकिशोर उफ वक्कू को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)